प्रश्न सं. [क्र. 307] [25/7/2022] परिशिष्ट-अ

मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 476/अमुस/पंग्रावि/2020/22/पं-1 भोपाल दिनांक 07.03.2020

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय – ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर प्रकिया के पालन संबंधी।

संदर्भ – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक/261/अमुस/पग्रावि/2018 दिनांक 04.06.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश से यह स्पष्ट किया गया है कि – "ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के दौरान आरक्षण रोस्टर नियम लागू होंगे।" मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 के नियम 5(2) में भी प्रावधानित है कि – "ग्राम पंचायत सचिव के पद की नियुक्ति/आमेलन के दौरान मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ–6–1–2002–ए.पी.–1, दिनांक 19 सितम्बर 2002 के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।"

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि "ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के दौरान आरक्षण रोस्टर नियम लागू होंगे।" कृपया तदनुसार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कर अवगत करावें।

(एस आर चौधरी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 477/अमुस/पंग्रावि/2020/22/पं-1 भोपाल दिनांक 07.03.2020

प्रतिलिपि –

1. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र क्रमांक 8829/सीएमएस/पीयूबी/2019 दिनांक 04.04.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त, जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद अध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष – 3) की ओर पंजी क्रमांक 1183/2019 पंजी दिनांक 01.07.2019 एवं यूओ क्रमांक 400/1183/2019/1/3 दिनांक 06.08.2019 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मैनेजर विभागीय पोर्टल/पंचायिका की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A.D.(P)
12/3/2020
D.D.(P)
13/3/2020

6-3-2020
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग